6

पत्रांक–2ब०/विविध–21–02/2016 6182 /न०वि०एवंआ०वि०

# बिहार सरकार
# नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

**संजय दयाल,**
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

**नगर आयुक्त,**
पटना नगर निगम, पटना।

पटना, दिनांक–28/9/16

विषयः– **श्री गुरू गोविन्द सिंह जी की 350वीं प्रकाशोत्सव के तैयारियों के संदर्भ में पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत स्ट्रीट लाईट के रख–रखाव/मरम्मति की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना के पत्रांक– 9442, दिनांक– 01.09.2016 द्वारा श्री गुरूगोविन्द सिंह जी महाराज के 350वीं जयंती के अवसर पर नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत चारों अंचल यथा नूतन राजधानी अंचल, कंकड़बाग अंचल, बांकीपुर अंचल एवं पटना सिटी अंचल में पूर्व से अधिष्ठापित स्ट्रीट लाईटों के मरम्मति एवं रख–रखाव हेतु कुल ₹181.30664 लाख (एक करोड़ एकासी लाख तीस हजार छः सौ चौसठ रु०) मात्र राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त अनुरोध के आलोक में पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत पूर्व से अधिष्ठापित स्ट्रीट लाईटों की मरम्मति एवं रख–रखाव हेतु कुल ₹181.30664 लाख (एक करोड़ एकासी लाख तीस हजार छः सौ चौसठ रु०) मात्र की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती हैः–

| क्र०सं० | निकाय का नाम | अंचल का नाम | प्राक्कलित राशि | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | पटना नगर निगम | नूतन राजधानी अंचल | 42.84835 | 42.84835 |
| 2. | | कंकड़बाग अंचल | 30.98051 | 30.98051 |
| 3. | | बांकीपुर अंचल | 47.45083 | 47.45083 |
| 4. | | पटना सिटी अंचल | 60.02695 | 60.02695 |
| | | **कुल योग** | **181.30664** | **181.30664** |

3. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि, 14वें वित्त आयोग से संबंधित विभागीय संकल्प सं०– 3583, दिनांक– 13.07.2015 के कंडिका– 05 के क्रमांक– 06 में सड़कों एवं गलियों में प्रकाश व्यवस्था का प्रावधान है।

4. उक्त प्रावधान के आलोक में स्ट्रीट लाईट की मरम्मति एवं रख–रखाव की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि कार्यों का निष्पादन पटना नगर निगम, पटना को 14वें वित्त आयोग मद में आवंटित राशि से की जायेगी।

5. राशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ की जा रही है कि कार्यों का डुप्लीकेशन किसी भी परिस्थिति में न हो।

6. विभागीय पत्रांक– 3422, दिनांक– 01.06.2016 द्वारा पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत ब्रेडा द्वारा अधिष्ठापित स्ट्रीट लाईटों की सूची कार्यपालक पदाधिकारी, सभी अंचल, पटना नगर निगम, पटना को प्रेषित की गयी है। उक्त स्ट्रीट लाईटों का रख–रखाव ब्रेडा द्वारा ही सुनिश्चित किया जाना है।

7. क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा।

8. सभी कार्य निविदा के माध्यम से पटना नगर निगम, पटना द्वारा कराये जायेंगे।

9. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर) 7/9/16

**सरकार के विशेष सचिव।**

ज्ञापांक–2ब०/विविध–21–02/2016 6182 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–08/9/16

**प्रतिलिपिः**– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग/वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार पटना/विभागीय एम०आई०एस० सेल, इन्दिरा भवन, पटना को योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के अनुश्रवण हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 2(बजट शाखा)/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 7/9/16

**सरकार के विशेष सचिव।**